शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/मानिट/2012/1715 भोपाल, दिनांक– 15.2.12

प्रति,

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र
जिले– जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट
म.प्र.

विषय – विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2248 माननीय विधायक श्री संजय पाठक।

विषयांतर्गत लेख है कि विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2248 आपकी ओर संलग्न कर भेजा जा रहा है। अतः प्रश्न का उत्तर तैयार कर दिनांक 17.2.2012 तक राज्य शिक्षा केन्द्र में विधान कक्ष को एवं मानिट कक्ष को ई–मेल monit.rsk2011@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें।

संचालक, सीमेट एवं
नोडल ऑफीसर, मानिट,

पृ.क्रमांक/राशिके/मानिट/2011/1716 भोपाल, दिनांक– 15.2.12

प्रतिलिपि–

1. ICT कक्ष समन्वयक की ओर सर्वशिक्षा अभियान की बेवसाईट अपलोड हेतु प्रेषित।

संचालक, सीमेट एवं
नोडल ऑफीसर, मानिट,

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजन का अंतिम दिनांक 22/02/2012

वर्ग 2 बैठक का दिनांक 01/03/2012 विभाग का नाम सामान्य प्रशासन

विषयः- अतिथि शिक्षक को प्राप्त होने वाले मानदेय के संबंध में ।

(तारांकित प्रश्न क्रमांक 2248) श्री संजय पाठक

क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) विगत तीन वर्षो से प्रश्न दिनांक तक जबलपुर संभाग के किन-किन जिलों के किन-किन स्कूलों में पदस्थ किन-किन अतिथि शिक्षकों को मानदेय न प्राप्त होने का कब-कब कितनी शिकायतें कलेक्टर/एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को प्राप्त हुई ?

(ख) प्रश्नांश (क) प्राप्त शिकायतों में से कितनी शिकायतों की जांच कब-कब, किस अधिकारी के द्वारा कराई गई ? उक्त अनियमितता के लिये किस-किस अधिकारी एंव कर्मचारी को दोषी पाया गया ? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? जिलेवार ब्यौरा दें ?

(ग) प्रश्नांश (ख) जांच के दौरान क्या उक्त शिक्षकों को लंबित/अप्राप्त मानदेय का भुगतान किया गया ? यदि हां तो कब-कब, किन-किन को, कितनी-कितनी राशि का ? जिलेवार ब्यौरा दें ? नहीं तो क्यों ?

(घ) क्या यह सत्य है कि प्रश्नांकित शिक्षकों के मानदेय की राशि को संबंधित स्कूलों के संबंधित अधिकारियों द्वारा आहरित कर स्वयं के उपयोग हेतु खर्च कर दिया गया है ? यदि हां तो उक्त अनियमितता के लिये विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ? एवं कब तक समयावधि बतायें ? नहीं तो क्यों ?

स्कूल शिक्षा

यथा संशोधित स्वीकृत

OperatorId op12
08/02/2012